तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से सम्बन्धित उक्त प्रकरण की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि इस न्यायालय में विचाराधीन 212 RTA के प्रकरण संख्या 345/09 बउनवान नाथूलाल बनाम हरजी में दिनांक 09.03.2009 को आगामी पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इस सम्बन्ध में न्यायालय रिकार्ड की जांच से स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण का मूल वाद संख्या 599/09 बउनवान नाथूलाल बनाम हरजी दिनांक 17.07.2012 को अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि किसी भी राजस्व प्रकरण में 'अधिकतम' ताफैसला वाद तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा मूल वाद का निस्तारण उपरान्त उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत प्रकरण के मूल वाद संख्या 599/09 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 345/09 का दिनांक 17.07.2012 को निस्तारण हो जाने के फलस्वरूप इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 18.06.2013 से ही अप्रार्थी की तलवी की जंहम पर ही विचाराधीन चल रहा है तथा प्रार्थी को लगातार मौके दिये जाने के बावजूद तलवी नोटिस आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अदम तकमील में खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	